

**ग्राम पंचायत कोटाधार, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कोटाधार, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री भूप सिंह	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री चैने राम	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति विद्या देवी	01.04.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कोटाधार, विकास खण्ड सदर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही का बैंक खातों के अन्तर्शेष में भारी अन्तर	1.52
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.54
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	5.64
4	7	बिना बिल प्राप्त किये अनियमित भुगतान	0.06
5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.34
6	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	3.49

भाग - दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कोटाधार, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.12.17 से 03.01.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	09/2014	02/2015
2015-16	12/2015	01/2016
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कोटाधार, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 02 दिनांक 03.01.18 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत कोटाधार, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्रौत :- ग्राम पंचायत कोटाधार, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व: स्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	219592.22	8874	228466.22	18004	210462.22
2015-16	210462.22	100992	311454.22	16234	295220.22
2016-17	295220.22	66889	362109.22	22526	339583.22

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत कोटाधार के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न में परिशिष्ट-I भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	44033.13	2539324	2583357.13	2692041	(-)108683.87
2015-16	(-)108683.87	3643836	3535152.13	2611635	923517.13
2016-17	923517.13	3403792	4327309.13	3763188	564121.13

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व ख़ात :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹339583.22

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹564121.13

स्व ख़ात एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹903704.35

दिनांक 16-03-17 को बैंक में जमा अनुदान राशि : ₹123790

जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टी नहीं की गयी

दिनांक 31-03-17 को uncashed cheque

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट -III पर) : ₹739521

रोकड़ बहियों का दिनांक 31-03-17 वास्तविक अंत शेष : ₹1767015.35

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1918744.53

(सलग्न विवरण परिशिष्ट- II)

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व-ख़ात) : शून्य

अन्तर ₹151729.18

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना परिणामस्वरूप ₹1.52 लाख का भारी अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेख, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹151729.18 का भारी अन्तर था (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है) अतः अतिशीघ्र इस अन्तर का मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए तथा भविष्य में भी पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.54 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व ख़ातों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 को गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹54320 शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित करें।

गृहकर :					(परिशिष्ट-IV)
वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	25600	25600	-	25600
2015-16	25600	29350	54950	29980	24970
2016-17	24970	29350	54320	-	54320

6 अनुदान ₹5.64 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-I) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹564121.13 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न

विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 बिना बिल/वाउचर प्राप्त किये ₹0.06 लाख का अनियमित भुगतान :-

चयनित मासों के भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में पंचायत द्वारा किये गये भुगतानों की पावतियाँ ही अभिलेख में सलग्न पाई गयी तथा क्रय किये गये सामान का पूर्ण विवरण ना होने के कारण इन व्ययों को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः किये गये भुगतानों के बिल पूर्ण विवरण सहित प्राप्त किये जाये अन्यथा किये गये भुगतानों की वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा की जाये।

क्रम संख्या	वाउचर सं./ माह	विवरण	राशि
1.	32 माह 02/2015	चाय,बिस्कुट इत्यादि	2200
2.	51 माह 01/2016	-do-	1330
3.	65 माह 03/2016	-do-	2550
कुल योग			₹6080

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.34 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-V में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹234386 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 ₹3.49 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-VI में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹348870 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
7. खाता बहियाँ तैयार न करना।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

फोन नं० 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०)एच(पंच)(15)(xi) 46/2018 खण्ड—1—3669—3672 दिनांक 23.05.2018
शिमला—09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत कोटाधार, विकास खण्ड सदर जिला मण्डी (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई

- करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी हि0प्र0

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881